



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रिय कार्यालय

इन्दिरा गांधी व्यावसायिक परिसर, ब्लाक-डी, स्कीम नं.-32,
पंडरी, रायपुर 492 001 (छत्तीसगढ़)

दूरभाष : आयुक्त - 2583892
सहा. आयुक्त - 2583895
सहा. आयुक्त - 2583894
जनसंपर्क - 2583897

पंजीकृत-पावती

संख्या / छ.ग. / रायपुर/
प्रति,

CirJe J/ 18792 / प्रयोज्यकर्ता कक्ष / 116

दिनांक :

29.05.2006

मेरसर्व, HMC EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED

Himalayan House, Mungeli Road,
Bilaspur C.G.

विषय : कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 और उसके रचित योजनाओं का

मेरसर्व HMC EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED पर लागू होना।
महोदय,

1. आपके द्वारा प्रेषित विवरण / और आपकी स्थापना का भविष्य प्रवर्तन अधिकारी द्वारा किए गये निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट होता है कि :-
(क) विषयाकृत स्थापना / फैक्ट्री जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 में स्थापनाओं की श्रेणियों / अनुसूची - 1 में शामिल

कार्य में लगी हुई है।

(ख) उक्त स्थापना /फैक्ट्री में माह / दिनांक 01.04.2006 को 20 व्यक्ति कार्यरत है। तथा

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 16 (1) डी के उपबंध के अंतर्गत को 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है अतः कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 और उसके अंतर्गत रचित योजनाएं उपरोक्त नामित स्थापना / फैक्ट्री इसके मुख्य कार्यालय और उसकी शाखाओं / विभागों पर चाहे वे एक स्थान पर हैं अथवा विभिन्न स्थानों पर है 01.04.2006 तारीख से स्थानीय स्थायी / अस्थायी रूप से लागू है।
स्थापना के पूर्व रिकार्डों की जाँच होने के पश्चात स्थायी व्यापि का निर्णय लिया जावेगा।

(घ) आपके आवेदन पत्र सं. दिनांक के संदर्भ में आपके छ.ग. / रायपुर /
मेरसर्व की ईकाई मानते हुए प्रशासनिक आधार पर कोड सं. छ.ग. /
आवंटित किया जाता है। कृपया नोट कर लें कि इसके स्थापना की मूल आवृत्ति प्रभावित नहीं होगी और इसे प्रयोजनों (क्षतिमूल्य आदि के लिए मूल युनिट का अनिवार्य अंग माना जाएगा)

(ङ) अधिनियम की धारा 1 (4) के अंतर्गत स्वेच्छिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 आपकी स्थापना पर लागू करने के लिए आपके आवेदन पत्र के संदर्भ में आपकी स्थापना को दिनांक से कोड संख्या छ.ग. / राय. /
आवंटित की जा रही है, तब तक की कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 1 उपधारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी नहीं हो जाती है कोड संख्या

18792

2. आपकी स्थापना को जो संख्या छ.ग. / / कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 और उसके अंतर्गत रचित योजनाओं अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 एवं कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 / कर्मचारी पेंशन योजना 1995 तथा निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के विभिन्न उपबंधों के अनुपालन के लिए आवंटित किया गया है यह कोड संख्या इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय अनिवार्य रूप से उद्धृत किया जाना चाहिए।

01.04.2006 12

3. यदि आपने अभी तक अनुपालन नहीं किया हो तो आपके, दिनांक से % दर से कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 तथा कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एवं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के प्रावधानों का अनुपालन करना है।

4. आपको अपने सभी पात्र कर्मचारियों के संबंध में पिछले सभी महिनों 01.04.2006 से 31.05.2006 तक भविष्य निधि का कुल अंशदान एवं प्रशासकीय प्रभार भविष्य निधि खाता क्रमांक 1 व 2 में कर्मचारी परिवार पेंशन निधि अंशदान / कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का अंशदान खाता क्रमांक 10 में तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना से संबंधित अंशदान एवं प्रशासकीय प्रभार भविष्य निधि खाता क्रमांक 21 एवं 22 में क्रमशः दिनांक 15.06.2006 तक या इससे पूर्व जमा करना है।

नोट :- (कृपया अधिक जानकारी हेतु संलग्न अनुदेश देखें एवं पत्र व अनुलग्नों की प्राप्ति रसीद भिजवाने की व्यवस्था करें)

अनुलग्न :- 1. कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 क.पा. पेंशन योजना 1971 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना को लागू करने से संबंधित निर्देश। प्रारूप - 2,9 (संशोधित-9), 3ए, 6ए, 12ए, 5ए, 2,5/10, एकीकृत चालान-1,10,2,21,22

(C. THOMAS KUMAR
State Provident Fund Commissioner
Chhattisgarh - RAIPUR,

संख्या / छ.ग. / 18792 / प्रयोज्यकर्ता कक्ष / दिनांक

1. (श्री भविष्य निधि अधिकारी श्री अनुपालन सुनिश्चित करने एवं उन्हें 30 दिन के अंदर स्थायी व्यापि रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं।

2. लेखा अनुभाग इस फैक्ट्री संस्थापना के पास भविष्य के पास निधि से संबंधित ऐसी राशि हैं / नहीं है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि के अंतरित किया जाना है। अंशदान रजिस्टर में आवश्यक अभियुक्तियों के साथ नोट करें तथा अनुपालन की रिपोर्ट प्रवर्तन अनुभाग को प्रेषित करें।

3. प्रवर्तन अनुभाग
4. कम्प्यूटर अनुभाग

सहायक भविष्य निधि आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर